संख्या- 10/2020/902/96-आयुष-1-2020-78/2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 27 मार्च, 2020**

विषय- जिला योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-562/380/2019-20/योजना; दिनांक 19.02.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-12/2019/1303/96-आयुष-1-2019-78/2018 दिनांक 08.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण के संबंध में धनराशि रू0-167.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-78.26 लाख अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना में द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार धनराशि रू0-67.56 लाख (रूपया सडसठ लाख छप्पन हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र0 सं0	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नाम	चिकित्सालय का प्रकार	निर्माण मानक	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवमुक्त की गयी धनराशि	चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1			4	5	6
1	मझौना गोरखपुर	04 शैय्या	20.97 लाख	10.00 लाख	10.97 लाख
2	पतरा गोरखपुर	04 शैय्या	20.97 लाख	10.00 लाख	10.97 लाख
3	गेनहॉ कुशीनगर	04 शैय्या	20.97 लाख	10.00 लाख	10.97 लाख
4	सुजौलिया सीतापुर	04 शैय्या	20.97 लाख	10.00 लाख	10.97 लाख
5	माकडी बुलन्दशहर	04 शैय्या	20.97 लाख	10.00 लाख	10.97 लाख
6	जरवल रोड बहराइच	04 शैय्या	20.97 लाख	08.26 लाख	12.71 लाख
			योग	68.26 लाख	67.56 लाख

1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।

3- प्रायोजना अन्तर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानित आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।

5- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओंको निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक का होगा।

6- परियोजना में प्रस्तावित कार्यो/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण इकाई/सम्बन्धी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- प्रयोजना के अन्तर्गत् प्रयुक्त संबंधित उपकरण संयत्र के क्रय मे सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुडस) 2016 के प्राविधनो तथा सूक्ष्म लघु तथा माध्यम तथा मघम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेन्ट/गर्वनमेंट, ई0 मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में सम्बन्धित निदेशक का होगा।

9- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराइटरी श्रेणी का है एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

10- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

11- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

12- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यो की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

14- सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यो में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिसमें कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।

18- निदेशक, सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 04-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 01-अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/2020/902(1)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) संबंधित जिलाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(4) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद)।
(5) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
(6) संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।